



कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- बीकानेर में कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पूगल का सहायक कर्मचारी 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 30 सितम्बर, शनिवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर बीकानेर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये नारायणराम नायक सहायक कर्मचारी शिक्षा विभाग हाल प्रतिनियुक्त कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल जिला बीकानेर को परिवादी से 10 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की बीकानेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि परिवादी की जरिये इकरारनामा एवं मुख्तारनामा आम क्रयशुदा भूमि की खातेदारी अधिकार देने की एवज में गोविन्द ओझा पेशकार, उपखण्ड अधिकारी, पूगल, जिला बीकानेर द्वारा 20 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, बीकानेर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री हरेन्द्र महावर के सुपरवीजन में एसीबी बीकानेर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महावीर प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्री श्रवण कुमार एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही आयोजित की गई। कार्यवाही के दौरान आरोपी गोविन्द ओझा पेशकार द्वारा रिश्वत राशि चालक अली खां को देने को कहा। तत्पश्चात चालक अली खां द्वारा उक्त रिश्वत राशि आरोपी नारायण राम नायक को दिलवाई। जिस पर नारायणराम नायक पुत्र मघाराम निवासी गांव खारा, तहसील एवं जिला बीकानेर हाल सहायक कर्मचारी शिक्षा विभाग हाल प्रतिनियुक्त कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल जिला बीकानेर को परिवादी से 10 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी गोविन्द ओझा पेशकार एवं चालक अली खां एसीबी कार्यवाही की भनक लगने पर मौके से फरार हो गये, जिनकी तलाश की जा रही है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री हरेन्द्र महावर के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कर्मियों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।